सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 159 राँची, गुरूवार, 16 मार्च, 2023 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

13 मार्च 2023

संख्या-02/म०स०/बाल विवाह-43/2023--राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य हित में अधिसूचना संख्या 842 दिनांक 11.06.2007 द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रखण्ड में पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को "बाल विवाह निषेध पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है । बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार अधिसूचना संख्या 842 दिनांक 11.06.2007 के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारियों को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जिनके क्षेत्राधिकार उनके विनिर्दिष्ट क्षेत्र होंगे ।

क्रम संख्या	बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारियों का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1.	निदेशक, समाज कल्याण	झारखंड राज्य भर में ।
2.	प्रमंडलीय आयुक्त	संबंधित प्रमंडलीय क्षेत्र में ।
3.	सभी उपायुक्त	संबंधित जिला में ।
4.	सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ।	संबंधित जिला क्षेत्र में ।
5.	सभी अनुमंडल पदाधिकारी	संबंधित अनुमंडल क्षेत्र में ।
6.	सभी अंचल अधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	संबंधित अंचल /परियोजना क्षेत्र में ।
7.	सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	अपने प्रखण्ड क्षेत्र में ।
8.	सभी महिला पर्यवेक्षिका	अपने क्षेत्राधिकार में ।
9.	पंचायत सचिव	अपने पंचायत क्षेत्र में ।

झारखण्डराज्यपाल के आदेश से

अभय नन्दन अंबष्ठ,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 159 -- 50